



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2018/माघ 10, 1939

No. 45]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2018/MAGHA 10, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना सं. 02/2015-2020 दिनांक 01.04.2015 का शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2018

विषय: एमईआईएस अनुसूची-परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 में उल्लिखित उत्पाद विवरण में संशोधन

फा.सं. 01/61/180/188/एम-18/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार परिशिष्ट 3ख की तालिका 2 में उत्पादों के विवरण (सार्वजनिक सूचना सं० 02 दिनांक 01.04.2015 के अनुलग्नक के माध्यम से अधिसूचित तथा तदोपरांत सार्वजनिक सूचना सं० 27, दिनांक 14 जुलाई, सार्वजनिक सूचना सं० 28 दिनांक 16 जुलाई, सार्वजनिक सूचना सं० 44 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015, सार्वजनिक सूचना सं० 06 दिनांक 04 मई, सार्वजनिक सूचना सं० 26 दिनांक 26 अगस्त, सार्वजनिक सूचना सं. 32, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 तथा सार्वजनिक सूचना सं० 44 दिनांक 15.11.2016 के तहत संशोधित) में एतद्वारा निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं :-

2. परिशिष्ट 3ख में प्रशुल्क लाइन के विवरण को संशोधित किया जाता है जिसे दिनांक 01.04.2015 से नीचे दिए गए कालम (4) में इस प्रकार पढ़ा जाएगा:-

सार्वजनिक सूचना सं० 02, दिनांक 01.04.2015 में यथा उल्लिखित परिशिष्ट 3ख की तालिका-2 की क्रम संख्या	आईटीसी (एचएस) कोड	मौजूदा विवरण	कॉलम-4 में संशोधित विवरण
(1)	(3)	(4)	(4)
113	03073990	अन्य मसल्स ताजे/प्रशीतित को छोड़कर	अन्य

3. इस शुद्धि पत्र का प्रभाव: प्रविष्टि सं० 113 में एमईआईएस परिशिष्ट 3ख के विवरण में संशोधन किया गया है ताकि इसका सार्वजनिक सूचना सं. 02, दिनांक 01.04.2015 के अधिसूचित होने के समय मौजूद आईटीसी एचएस के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यह संशोधन दिनांक 01.04.2015 से लागू होगा।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****CORRIGENDUM TO PUBLIC NOTICE NO. 02 /2015-2020 DATED 01.04.2015**

New Delhi, the 30th January, 2018

Subject: Correction in the Product Description in MEIS Schedule - Table 2 of Appendix 3B

F. No.-01/61/180/188/AM 18/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015- 2020, the Director General of Foreign Trade hereby effects the following changes in the description of products in Table 2 of Appendix 3 B (notified through Annexure to Public Notice No. 2 dated April 1, 2015 and subsequently amended through Public Notice No. 27 dated July 14, Public Notice No. 28 dated July 16, Public Notice No. 44 dated October 29 of 2015 , Public Notice No. 6 dated May 4, Public Notice No. 26 dated August 26, Public Notice No. 32 dated September 22 of 2016 and Public Notice 44 dated 15.11.2016):

2. The description of the Tariff line in the Appendix 3B is corrected, to read as in column (4) below with effect from 01.04.2015.

Sl. No. of Table 2 of Appendix 3B as in Public Notice 02, dated 01.04.2015	ITC(HS) Code	Existing description	Corrected Description in Column 4
(1)	(3)	(4)	(4)
113	03073990	Other Mussels Excl. Frsh/Chld	Other

3. **Effect of this Corrigendum:** A correction has been made in the MEIS Appendix 3B description in Entry No. 113, to align it with the ITC HS present at the time of the notification of Public Notice 02, dated 01.04.2015. This correction is in effect from 01.04.2015.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade